P-2 222

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फार्म VIII

भवन की प्रस्तिट के अनुमोदन का फार्म

उपविधि संख्या 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 486/21-22 तिथि- 10.2.21 के संदर्भ में श्रीमति / श्री Arvind K- के लिए

(क) ~~Commercial~~ भवन के निर्माण
(ख) भवन के पुनर्निर्माण
(ग) भवन के परिवर्तन
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

Purnea नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत / महानगर क्षेत्र / बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना / आयोजना प्राधिकार / आयोजना स्कीम के प्लॉट नं० (सी०एस०) 999 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) खाता नं० 7.84 होल्डिंग नं० 701 गाँव Baxi मोहल्ला Pradhan बोर्ड नं० 4 के बाबत निम्नलिखित शर्तों / निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

(क) भूमि / भवन का उपयोग अनन्य रूप से Residential प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार एवं अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 108.08 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके ~~अंकित~~ भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 20.11 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना / आयोजना प्राधिकारों / या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार / ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ Purnea नगर निगमों / नगर परिषद् / नगर पंचायत / महानगर क्षेत्र / आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी कर जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार / हक / हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
कोई अन्य शर्त

22/2/2021

मानचित्रादेशानुसार
प्राधिकृत पदाधिकारी / प्राधिकार
नगर निगम, पूर्णियाँ

DAKSHA CONSTRUCTION PVT. LTD.
Arvind Kumar
Director

(22)

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

To,

फारम–X

कार्य प्रारंभ के सूचना का फारम
(भूस्वामी एवं निर्माता/विकासक के द्वारा दिया जाएगा)
उपविधि संख्या–8(6) (घ),10

Pro
You
Pro
Na
Fat
PA
Ad
M
E-
C
N

प्रेषक, DAKSha construction P.V.T. LTD. (
श्री अरविन्द कुमार (B.M.Architect).
पिता-श्री विश्वनाथ yadav
915 20- 04
(नाम और पता बड़े अक्षरों में)

सेवा में,
नगर आयुक्त
नगर निगम पूर्णियाँ

महोदया/महोदय

पूर्णियाँ नगर निगम/नगर ~~परिषद~~/~~नगर~~ पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित _____ विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के _____ प्लौट नं० (सी०एस०) 999 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) _____ खाता नं० 784 होल्डिंग नं० 705 गाँव पूर्णियाँ ... की बाबत भवन के निर्माण कार्य से आपके पत्र संख्या 02 दिनांक द्वारा दिए गए अनुज्ञा 15.07.2021 प्राधिकार/सूचीवद्ध वास्तुविद/अभियंता/संरचनात्मक अभियंता Sri Tanmay Kumar निबंधन संख्या Ar. 06/2019 के द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुसार के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने की सूचना देता हूँ।

विश्वासभाजन
Arvind Kumar
Pallavi Enterprises.
स्वामी का हस्ताक्षर

उदय हू सिंह

12-3-21

कार्यालय नगर निगम पूर्णियाँ

DAKSHA CONSTRUCTION PVT. LTD.
Director